कृ० पत्र उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को भेजें।
13/7/16

संख्याः- /VII-2-16/210-एम0एस0एम0ई0/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादून : दिनॉकः 30 जून, 2016

विषयः- "खादी संस्थाओं को सहयोग योजना" की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में स्थानीय भेड़पालकों से ऊन क्रय कर उससे उत्पादित वस्त्रों को तैयार करने में उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग की विभिन्न संस्थाओं/सनितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **"खादी संस्थाओं को सहयोग योजना"** प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(i) योजना का उद्देश्यः-

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खादी गामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा प्रमाणित खादी की संस्थाओं को, जो आर्थिक एवं संस्थागत रूप से कमजोर हैं तथा अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रही हैं, ऐसी संस्थाओं के उत्थान हेतु उनके उत्पादन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, तकनीकी विकास, डिजायन विकास में सहायता दिया जाना है।

(ii) पात्रता का निर्धारणः-

योजनान्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा प्रमाणित खादी संस्थायें जो निर्धारित मानकों के अंतर्गत अच्छादित हों किन्तु परिस्थिति के कारण अपने उत्पादन कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रही हों अथवा वित्तीय संस्थाधनों की कमी के कारण बन्दी के कगार पर हों, ऐसी विषम परिस्थिति जिसके कारण संस्था से जुडे कतकरों/बुनकरों को रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है, उन्हें उक्त योजना का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा।

उक्त के अलावा चयन करते समय यह भी संज्ञान लिया जायेगा कि:-

1. संस्था द्वारा खादी से निर्मित हाथ कता-हाथ बुना वस्त्र खादी मानक के अनुरुप तैयार किया जा रहा हो।
2. संस्था द्वारा वर्तमान में क्या-क्या उत्पादन किया जा रहा है और किसी वस्तु के लिए धनराशि की आवश्यकता है, का पूर्ण प्रस्ताव संस्था द्वारा दिया जायेगा। उक्त कार्य के लिए जो वित्तीय आवश्यकता है, की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता अन्यत्र कहां से लिया जा रहा है, का भी पूर्ण

Jt.C.E.O.
UKVIB
13/07/16

विवरण संस्था द्वारा दिया जायेगा। यदि कोई गैप है तो तद्नुसार इम्पावर कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(iii) चयन की प्रक्रियाः–

पात्र संस्था का चयन चार सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसके निम्नवत सदस्य होगेंः–

1.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
2.	राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	विभागीय लेखा निरीक्षक/वरिष्ठ लेखा निरीक्षक	सदस्य

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के माध्यम से जनपदवार खादी संस्थाओं को सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जायेगें। चयन समिति प्रस्तावों का अध्ययन कर संस्था का चयन निम्न मानकों पर करेगी :–

1. संस्था वास्तव में खादी का कार्य कर रही है।
2. संस्था का गत तीन वर्षों का उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार प्रगति का अध्ययन एवं भौतिक निरीक्षण।
3. संस्था द्वारा स्थानीय क्षेत्र के कारीगरों को ही रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा उत्पादित सामान की गुणवत्ता के मानक वर्तमान बाजार की मांग के अनुसार हो।
5. संस्था को व्यवसाय उत्थान हेतु वास्तव में सहायता की आवश्यकता हो।
6. सहायता धनराशि का उपयोग संस्था के कार्यशाला, तकनीकी सुदृढीकरण, कारीगर मजदूरी, विपणन विकास पर ही किया जायेगा।

(iv) सहायता धनराशि का परिसीमनः–

संस्था के व्यवसाय उत्थान के दृष्टिगत पात्र संस्था के वार्षिक उत्पादन का 10 प्रतिशत जिसकी सीमा अधिकतम ₹5.00 लाख (₹ पांच लाख मात्र) होगी, तक की सहायता प्रदान की जायेगी। यह सहायता संस्था को एक बार ही देय होगी। संस्था को स्वीकृत सहायता धनराशि के व्यय का मदवार विवरण कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। यदि संस्था स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार/मानकवार नहीं करती है तो स्वीकृत धनराशि को एकमुश्त वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी। व्यय विवरण का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा।

(v) वित्तीय आंगणनः–

1.	एक वर्ष में अनुदानित संस्था/समितियों की अधिकतम संख्या	– 05
2.	प्रति संस्था को सहायता उपलब्ध कराने का अनुमान	– ₹ 05.00 लाख
3.	वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल धनराशि	– ₹ 25.00 लाख

2. राज्य सरकार वित्त विभाग की सहमति से उक्त मानकों में समय-समय पर/विशेष परस्थिति में परिवर्तन/संशोधन कर सकेगी।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः-243/XXVII(2)/2016 दिनांक 23 जून, 2016 में प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः934(1)/ VII-2-16/210-एम0एस0एम0ई0/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5 निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6 आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8 समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
9 निजी सचिव-मा0 मंत्री, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

General Order-184